पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

(नियमों का अनुकूलन)

नियमन, १९६७

जीएसआर १६६८

मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट १९६३ (१९६३ का ३८) में धाराएं २८ और १२४ के साथ पठित धारा १२६ में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा नि नलिखित प्रथम नियमन तैयार करती है– नामत:

१ लघु शीर्षक एवं प्रारंभ

१) इन नियमों को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (नियमों का अनुकूलन) नियम १९६७ भी कहा जा सकता है।

२) इन्हें १ नवंबर, १९६७ से लागू किया गया है।

२ क्रियान्वयन:

ये नियमन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट पर लागू होंगे।

३ परिभाषाएं: इन नियमनों में जब तक संदर्भ में आवश्यकता हो:

ए) एक्ट से आशय मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, १९६३ से है।

बी) नियुक्ति दिवस से आशय उस तिथि से है जब पारादीप पोर्ट में एक्ट को लागू किया गया

सी) बोर्ड से आशय एक्ट में इसे प्रदत्त अर्थ से है।

डी) वर्तमान नियमों एवं आदेशों से आशय पोर्ट प्रशासन के संबंध में नियत तिथि से पूर्व लागू विभिन्न एक्टों और नियमों के अधीन गठित नियम और आदेश से है

ई) पोर्ट से आशय पारादीप पोर्ट से है।

४ निरंतर बने रहने वाले वर्तमान नियम:

नि नलिखित मामलों से संबंधित नियत तिथि पर या उसके बाद वर्तमान नियमों औा आदेशों तथा तदनंतर संशोधन, उस सीमा तब जब तक वे इस एक्ट या उसके अधीन किन्हीं अन्य नियमनों के प्रावधानों के साथ अस्थिर नहीं हैं और जब तक उन्हें बदला नहीं जाता, यानी
बोर्ड द्वारा निरस्त किए गए या संशाधित किए गए, ऐसे में वे उसी रूप में निरंतर जारी रहें जैसा कि उन्हें इस एक्ट के अधीन केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था।

१) एक्ट की धारा २८ के क्लॉज (बी) (सी) और (ई) में वर्णित मामले और

२) इस एक्ट की धारा १२३ के क्लॉज (बी) से क्लॉज (ई) से (एन) तक में वर्णित मामले।

बशर्ते कि वर्तमान नियमों और आदेशों में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक तौर पर किया गया कोई भी उपरोक्त संशोधन या कउेई भी बदलाव या संशोधन जो बोर्ड द्वारा किया गया वह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि बोर्ड केंद्र सरकार से पूर्वानुमति नहीं ले लेता।

५ पावती का प्रपत्र:

इस एक्ट की धारा (४२) की उपधारा २ के चलन में दी जाने वाली पावती इन नियमनों से जुड़े परिशिष्ट में प्रदत्त यथासंभव प्रायोगिक रूप में होनी चाहिए।

६ १) जि मेदारी की अवधि:

बोर्ड द्वारा उसके प्रभार में लिए गए सामान को लेकर बोर्ड की जि मेदारी खत्म होने की अवधि उसके द्वारा प्रभार में लिए जाने की तिथि से स्पष्ट तौर पर ७ दिनों के भीतर होगी।

२) नोटिस की अवधि:

एक्ट की धारा ४३ की उपधारा २ के अधीन किसी नुकसान या क्षति के मामले में दिए जाने वाले नोटिस की अवधि एक्ट की धारा ४२ की उपधारा २ के अधीन सामान की पावती की तिथि से स्पष्ट रूप से ७ कार्यकारी दिवसों तक सीमित होगी।

परिशिष्ट

(नियमन ५ देखं)

पारादीप पोर्ट

पावती

क्र.सं. .....

नौका सं या ..... स्टीमर .....

एजेंटों के नाम ..... बर्थ सं या .....

यात्रा शुरू करने का समय एवं तिथि ..... घंटे ..... मिनट ..... दिन ..... महीना ..... वर्ष .....

यात्रा खत्म होने का समय एवं तिथि ..... घंटे ..... मिनट ..... दिन ..... महीना ..... वर्ष .....

अंक विवरण गट्ठों की सं या कुल मिलाई गईटिप्पणियां

कुल: .....

पारादीप पोर्ट पर टैली क्लर्क के हस्ताक्षर

(सं या ११- पीजी ( )३८)/६७

३१-११-१९६७

नोट: १) मु य नियमन नामत: पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (नियमों का अनुकूलन) नियमन १९६७ को भारतीय गजट में जीएसआर सं. १६६८ द्वारा दिनांक ०१ नवंबर, १९६७ को प्रकाशित किया गया था।

२) पहला संशोधन नामत: पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (नियमों का अनुकूलन) नियमन १९७५ को भारतीय गजट में जीएसआर सं. ६०७ द्वारा दिनांक ०१ फरवरी, १९७५ को प्रकाशित किया गया था।

३) दूसरा संशोधन नामत: पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (नियमों का अनुकूलन) नियमन १९८९ को भारतीय गजट में जीएसआर सं. ६८१ (ई) द्वारा

दिनांक ०५ जुलाई, १९८९ को प्रकाशित किया गया था।

मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स (प्रोसीजर एट बोर्ड मीटिंग्स) रूल्स, १९८१

जीएसआर ७२५ जहां मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स (प्रोसीजर एट बोर्ड मीटिंग्स) रूल्स, १९८१ को मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट १९६३ (१९६३ का ३८) की धारा १२२ की उपधारा २ की आवश्यकतानुसार दिनांक २८ मार्च, १९८१ को भारतीय गजट के खंड-२, विभाग-३, उपविभाग-१ में जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के तहत पृष्ठ सं या ८७२ से लेकर ८७३ पर प्रकाशित किया गया था (पोर्ट विंग संङ जीएसआर-३४३, दिनांक १२ मार्च, १९८१) इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी लोगों से एतद्द्वारा आधिकारिक गजट में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से ४५ दिनों की समाप्ति तक आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं तथा चूंकि उक्त गजट की प्रति ४ अप्रैल १९८१ को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, और चूंकि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व जनता से कोई आपत्तियां एवं सझाव प्राप्त नहीं किए गए। अब इसलिए उक्त एक्ट की धारा १२२ की उपधारा १ द्वारा प्रदत्त शक्तियों के साथ और मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स (प्रोसीजर एट बोर्ड मीटिंग्स) रूल्स, १९६४, मरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट (प्रोसीजर एट बोर्ड मीटिंग्स) रूल्स, १९६७, कलकत्ता पोर्ट के न्यासी बोर्ड (प्रोसीजर एट बोर्ड मीटिंग्स) रूल्स, १९७५, मद्रास पोर्ट के बोर्ड न्यासियों (प्रोसीजर एट बोर्ड मीटिंग्स) रूल्स, १९७५, टूटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट (प्रोसीजर एट बोर्ड मीटिंग्स) रूल्स १९७९ और न्यू मेंगलौर पोर्ट ट्रस्ट (प्रोसीजर एट बोर्ड मीटिंग्स) रूल्स १९८० के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों या छोड़े गए कार्यों को ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया जाना है। केंद्र सरकार एतद्द्वारा नि नलिखित नियम बनाती है, नामत:

१ १) इन नियमों को मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स (प्रोसीजर एट बोर्ड मीटिंग्स) रूल्स, १९८१ के नाम से पुकारा जा सकता है।

२) ये आधिकारिक गजट में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि पर प्रभावी होंगे।

३) ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, १९६३ (१९६३ का ३८) की धारा १६ के प्रावधानों के विषयाधोन होंगे, जो कलकत्ता, बॉ बे, मद्रास, कोचीन, विशाखापटनम, कांडला, मरमुगाओ, पारादीप, टूटिकोरिन, न्यू मेंगलोर पोर्ट के न्यासी बोर्ड की बैठकों में व्यावसियिक लेनदेन में लागू होंगे।

२ बैठकों की आवृत्ति:

नियम ३ के संदर्भ में विशेष बैठक के अलावा, बोर्ड की एक बैठक हर तिमाही में कम से कम एक बार होगी।